राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–77 / 2022

बैजनाथ कुमार बिमल बनाम् मो0 रियाज आलम।

इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–29.07.2024 को हुई, जिसमें, वादी के विद्वान अधिवक्ता लगातार 03 सुनवाईयों से अनुपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम एवं श्री अवनीश कुमार उपस्थित।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसमें वादी के दावों को सही नहीं पाया गया तथा **राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा उनके मुवक्किल की जाति ''भठियारा(मुस्लिम) (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)'' सुनिश्चित की गयी है।** अतः उनके द्वारा वाद को समाप्त करने की माँग **रजनी कुमारी वाद** के आलोक में की गयी।

वादी / उनके विद्वान अधिवक्ता राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रदान किये गये सभी अवसरों पर अनुपस्थित रहें। ऐसी स्थिति में वाद को अनवरत् जारी रखना न्यायोचित नहीं है।

उक्त स्थिति में आयोग प्रतिवादी के तर्कों एवं राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन से सहमत है। रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिए गए न्याय–निर्णय के आलोक में ऐसे मामले जो निर्विवाद साक्ष्य पर आधारित नहीं है, में Fact Finding Body के प्रतिवेदन के आधार पर ही आयोग द्वारा निर्णय लिया जाना है। विचाराधीन वाद में वादी के दावें विपरीत जाति के संबंध में राज्य के Apex Facts Finding Body, राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा प्रतिवादी की जाति **''भठियारा (मुस्लिम) (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)''** पाया गया है। अतः **वादी के दावें को अस्वीकृत किया जाता है,** परन्तु उन्हें यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) से प्राप्त प्रतिवेदन के विरूद्ध अपीलीय फोरम माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष अपील दायर कर सकते है। **यदि माननीय उच्च न्यायालय, पटना / राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा वादी के पक्ष में किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है, तो वादी पुनः वाद लाने हेतु स्वतंत्र है।**

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0 / –	ह0 / –
(डॉ० दीपक प्रसाद)	(डॉ० दीपक प्रसाद)
19.06.2025	19.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–77 / 2022

पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–77 / 2022 2805 पटना, दिनांक– 19.6.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **सहरसा** / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सहरसा** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सहरसा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

19/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी